अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

24/3/21 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई।
वकील प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया है कि प्रति० सं० 2 गोपाली की मृत्यु दिनांक 25/2/2010 को हो चुकी है फर्द दस्तावेज के साथ पेश है। वादी ने दिनांक को वाद पेश दिनांक 01/03/21 किया गया है जबकि प्रति० गोपाली की 25/2/2010 को मृत्यु हो चुकी थी। मृतक व्यक्ति के विरुद्ध वाद दायर किये जाने से चलने योग्य नहीं होने से एबेट होने से खारिज किया जावे।
वादी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया है कि वाद दायर के समय प्रति० सं० 2 गोपाली की मृत्यु होने की जानकारी नहीं थी। इसलिए जवाब में वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अब गोपाली के वारिसान मुलजिमान बनाये जाने हेतु निवेदन किया गया है। अपने पक्ष के समर्थन में वादी अधिवक्ता द्वारा RRT 2016-17 (Supp.) पेज नं० 545 करजीत कौर V/s बाबूराम, RRT 2016-17 (Supp.) पेज नं० 655, जगदेव सिंह V/s रेशम सिंह वगै० RRT 2013 (1) पेज

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां जिला बून्दी (राज.)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	नं० 4538 रामजीराम v/s चुतराराम वगै० एवं RRT 2013(1) पेज नं० 7223 पन्नाराम वगै० v/s चम्पालाल वगै० उद्धरत पेश की जो चस्पा नहीं होती है। हमने उभयपक्षों की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का आद्योपात अवलोकन किया गया। वादी द्वारा मृतक व्यक्ति प्रति०सं० 2 गोपाली के खिलाफ दिनांक 01/03/2021 को वाद प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रति०सं० 2 गोपाली की दिनांक 25/2/2010 को ही मृत्यु हो चुकी थी, जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वादी ने बिना किसी जानकारी के ही मृतक के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया गया है। मृतक व्यक्ति के विरुद्ध वाद प्रस्तुत होने से स्वतः ही वाद अवैध होने योग्य है। अतः मृतक के विरुद्ध प्रस्तुत वाद स्वतः ही अवैध हो जाने से चलने योग्य न होने से वाद वादी खारीज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)